<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 01.12.2025</u>

<u>पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।</u>

<u>थाना पलिया पुलिस द्वारा, 21 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर (स्मैक) बरामद कर अभियुक्त हरदीप सिंह पुत्र स्व0 तेजा सिंह को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पलिया के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष पलिया के नेतृत्व में आज दिनांक 01.12.2025 को थाना पलिया पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त हरदीप सिंह पुत्र स्व0 तेजा सिंह निवासी ग्राम राघवपुरी थाना हजारा जनपद पीलीभीत को 21 ग्राम ब्राउन शुगर (स्मैक) व एक अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार एवं बरामदगी के आधार पर थाना पलिया पर मु0अ0सं0 458/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
हरदीप सिंह पुत्र स्व0 तेजा सिंह निवासी ग्राम राघवपुरी थाना हजारा जनपद पीलीभीत उम्र करीब 24 वर्ष ।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>
1.मु0अ0सं0 0017/2024 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना हजारा जनपद पीलीभीत ।
2.मु0अ0सं0 0052/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हजारा जनपद पीलीभीत ।
3.मु0अ0सं0 0009/2025 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएसएस थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी ।
4.मु0अ0सं0 0458/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना पलिया जनपद खीरी ।

<u>बरामदगी का विवरण</u>
21 ग्राम ब्राउन शुगर (स्मैक) – कीमत लगभग 50,000/- रुपये ।
एक अदद मोटर साइकिल (बजाज सीटी-100) – सीज अ0धारा 207 एम0वी0 एक्ट ।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>
1.व0उ0नि0 श्री रामजीत यादव थाना पलिया जनपद खीरी ।
2.उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना पलिया जनपद खीरी ।
जितेन्द्र सिंह

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा कारतूस बरामद कर अभियुक्त सुधाकर उर्फ रामनिवास तिवारी पुत्र ओमप्रकाश तिवारी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मितौली के कुशल मार्गदर्शन में एवं थानाध्यक्ष नीमगांव के नेतृत्व में आज दिनांक- 01.12.2025 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर एक नफर अभियुक्त सुधाकर उर्फ रामनिवास तिवारी पुत्र ओमप्रकाश तिवारी निवासी ग्राम रसूलपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 501/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुधाकर उर्फ रामनिवास तिवारी पुत्र ओमप्रकाश तिवारी निवासी ग्राम रसूलपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण

एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री प्रवीर गौतम थानाध्यक्ष नीमगांव जनपद खीरी
2.व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना नीमगांव जनपद खीरी
3.का0 अभिषेक कुमार थाना नीमगांव जनपद खीरी
4.का0 शोभित कुमार थाना नीमगांव जनपद खीरी

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1.थाना नीमगांव पुलिस द्वारा,मु0नं0 328/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम में 01 नफर वारंटी अभियुक्तअवधेश पुत्र रामसेवक निवासी मुड़िया थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2.थाना खमरिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 643/25 धारा 65(1),351,351(1),3/4 पाक्सो एक्ट में 01 नफर वांछित अभियुक्त तुषार पुत्र संतोष भार्गव निवासी पैकापुर थाना खमरिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 20 लीटर अवैध शराब बरामद कर 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **20 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद कर **02 नफर** अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **02 अभियोग** पंजीकृत किये गये।